भारत छोड़ो आन्दोलन

[THE QUIT INDIA MOVEMENT]

> **"मैं स्वतन्त्रता के लिये अब और आगे प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं मि. जिन्ना के हृदय परिवर्तन की भी राह नहीं देख सकता। यदि मैं और रुकूँगा तो ईश्वर मुझे दण्ड देगा। यह मेरे जीवन का अन्तिम संघर्ष है।"**
>
> —गाँधीजी 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के सन्दर्भ में

ब्रिटिश संसद ने भारत में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में सन् 1935 का '**भारतीय शासन** अधिनियम' पारित किया। इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केन्द्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। काँग्रेस में इस बात पर मतभेद थे कि इस अधिनियम के आधार पर होने वाले चुनावों में भाग लिया जाय अथवा नहीं। अन्त में, काँग्रेस ने चुनाव में भाग लिया। सन् 1937 के चुनाव परिणाम काँग्रेस के लिये उत्साहवर्द्धक रहे और सन् 1937 में ही 11 में से 8 प्रान्तों में काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गये जिन्होंने अनेक जनहितकारी कार्य किए। लेकिन मन्त्रिमण्डल के प्रश्न को लेकर काँग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए जो तीव्रतर होते गये।

द्वितीय विश्व-युद्ध का प्रारम्भ और वायसराय द्वारा भारत की ओर से युद्ध की घोषणा—एक सितम्बर, 1939 को द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ। इसी दिन जर्मनी ने पौलैण्ड पर आक्रमण किया था। ग्रेट-ब्रिटेन युद्ध से अलग नहीं रह सकता था। अतः लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता की रक्षा के नाम पर इंग्लैण्ड ने 3 सितम्बर, 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसी दिन गवर्नर जनरल ने भारतीय जनता की सहमति के बिना भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय नेताओं ने वायसराय के इस अशोभनीय और अपमानजनक कार्य की कटु निन्दा करते हुए इसका घोर विरोध किया।

जिस अलोकतन्त्रीय ढंग से भारत को युद्ध में झोंक दिया गया था, उसका विरोध करते हुए 14 सितम्बर, 1939 को काँग्रेस-समिति की एक बैठक आयोजित की गई। समिति ने एक प्रस्ताव पास करते हुए कहा कि **"जब तक भारत को स्वतन्त्रता का आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक काँग्रेस भारतीय जनता को देश की सरकार से पूर्ण सहयोग करने की सलाह नहीं दे सकती।"** उदारवादियों ने भी काँग्रेस की उक्त माँग का समर्थन किया और केन्द्र में तुरन्त उत्तरदायी शासन की स्थापना की भी माँग की। मुस्लिम लीग भी बिना शर्त ब्रिटेन को सहयोग देने को तैयार नहीं थी। यद्यपि वह स्वतन्त्रता नहीं चाहती थी, वरन् विशेष रियायतें चाहती थी।

वायसराय की घोषणा और काँग्रेस मन्त्रिमण्डलों का त्याग-पत्र—वायसराय ने न तो युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों को स्पष्ट किया और न ही भारतीयों को स्वतन्त्रता का कोई आश्वासन दिया। ब्रिटिश सरकार ने मात्र यही कहा कि ब्रिटेन का वर्तमान उद्देश्य केवल युद्ध जीतना है। इसलिए उन्होंने भारत के 52 प्रतिनिधियों से जिनमें गाँधीजी, पण्डित नेहरू, मि. जिन्ना आदि शामिल थे, भेंट की। तत्पश्चात् 17 अक्टूबर, 1939 को एक वक्तव्य दिया जिसकी महत्वपूर्ण बातें निम्न प्रकार थीं :

(1) काँग्रेस की यह माँग अव्यावहारिक है कि भारतीयों को तुरन्त सत्ता हस्तान्तरित कर दी जाए।

(2) समस्त संवैधानिक योजना पर युद्ध के बाद ही विचार किया सकेगा।

(3) वायसराय भारतीयों से मिलकर एक सलाहकार सीमित का गठन करेंगे जो उन्हें युद्ध संचालन से सम्बन्धित विषयों पर परामर्श देगी।

वायसराय लार्ड लिनलिथगो की उपर्युक्त घोषणा से भारतीय जनता के किसी भी वर्ग को संतोष नहीं हुआ। सभी दलों ने अपने-अपने कारणों से इस घोषणा को निराशजनक बताया। काँग्रेस ने इस घोषणा को विशेष रूप से असंतोषजनक बताया। गाँधीजी ने कहा कि अंग्रेजोंद्वारा अपनी पुरानी नीति "फूट डालो और शासन करो" को दुहराया है।

काँग्रेस पहले ही प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों को आदेश दे चुकी थी कि वह ब्रिटिश सरकार की युद्ध तैयारियों में किसी प्रकार की कोई सहायता न दे।"

22 अक्टूबर, 1939 को काँग्रेस कार्य-समिति ने एक बैठक कर प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा काँग्रेस मन्त्रिमण्डलों को त्याग-पत्र देने का आदेश दिया। फलस्वरूप 8 प्रान्तों में काँग्रेस ने मन्त्रिमण्डलों से त्याग-पत्र दे दिये। सन् 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रान्तों का शासन गवर्नरों ने सँभाल लिया। काँग्रेस मन्त्रिमण्डलों के त्याग-पत्र से जहाँ देशवासियों को दुःख हुआ वहीं मि. जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने प्रसन्नता प्रदर्शित की और 22 सितम्बर, 1939 को घी के दिये जलाकर "**मुक्ति दिवस**" मनाया। मुस्लिम लीग के इस कार्य से हिन्दू-मुस्लिम कटुता बढ़ी।

काँग्रेस द्वारा सशर्त सहयोग का प्रस्ताव—सन् 1940 के मध्य तक विश्व-युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति अत्यधि खराब हो चुकी थी। जर्मन सेनाओं के सामने हॉलैण्ड, बेल्जियम, डेनमार्क, नार्वे और फ्रांस ने घुटने टेक दिये थे। जापान की सेना भी जर्मनी के सहयोग के लिये बढ़ रही थी। ब्रिटिश स्वतन्त्रता को खतरा पैदा हो गया था। लन्दन में बर्किंघम पैलेस पर बम वर्षा होने लगी थी। ब्रिटेन में संकट की इस घड़ी में चेम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमन्त्री बनाया गया था। नाजुक अवसर.को दृष्टिगत रखते हुए गाँधीजी ने कहा कि "**हम ब्रिटेन के विनाश द्वारा अपनी स्वतन्त्रता नहीं चाहते हैं।" पण्डित नेहरू** ने कहा कि "**ब्रिटेन की कठिनाई भारत का सौभाग्य नहीं है।**" 7 जुलाई, 1940 को काँग्रेस कार्यसमिति ने **पूना प्रस्ताव** पारित कर दो शर्तों पर सहयोग देना निश्चित किया :

(1) युद्ध की समाप्ति पर भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जाय।

(2) तात्कालिक कदम के रूप में भारतीय शासन के केन्द्रीय क्षेत्र में एक अस्थायी सरकार की नियुक्ति की जाय जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग लें। यह मिली-जुली अस्थायी सरकार केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो।

जुलाई, 1940 के प्रस्ताव के माध्यम से काँग्रेस ने ब्रिटेन के प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और लार्ड लिनलिथगो अपने हट पर अड़े रहे।

ब्रिटेन के नये प्रधानमन्त्री **चर्चिल** ने कहा कि अटलांटिक चार्टर में वर्णित आत्म-निर्णय का अधिकार केवल यूरोप के देशों पर ही लागू होता है, भारत और म्यांमार पर लागू नहीं होता। **चर्चिल** ने यह भी कहा कि "**मैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधानमन्त्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं साम्राज्य का दिवाला ही निकाल दूँ।**"[1] अतः प्रधानमन्त्री चर्चिल का मकसद भारत को स्वतन्त्रता न देने से था।

अगस्त प्रस्ताव (8 **अगस्त,** 1940) – युद्ध की गम्भीरता को देखते हुए वायसराय लिनलिथगो ने भारत की राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने के लिए 8 अगस्त, 1940 को निम्नांकित प्रस्ताव रखे :

(1) ब्रिटिश सरकार का उदेश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है।

(2) गवर्नर की कार्यकारणी में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक शामिल किया जायेगा।

(3) युद्ध परामर्श समिति गठित की जायेगी। इस प्रस्ताव द्वारा शासन ने काँग्रेस सहयोग करने के लिए आग्रह किया लेकिन यह प्रस्ताव अत्यन्त असन्तोषजनक था। अतः काँग्रेस द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।

काँग्रेस ने अगस्त, 1940 के प्रस्तावों पर 17 अक्टूबर, 1940 को गाँधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। यह इसलिये कि वे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उत्पन्न संकट की स्थिति से अनुचित लाभ नहीं

---

[1] "I have not become his Majesty's First Minister to liquidate the British Empire." —*Mr. Churchil*

उठाना चाहते थे। यह केवल प्रतीकात्मक विरोध था और इसका उद्देश्य नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति मात्र था। इस सत्याग्रह में अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया था। गाँधीजी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना। 17 अक्टूबर, 1940 को उन्होंने सत्याग्रह प्रारम्भ करते हुए जनता से अपील की कि वह युद्ध में सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता न दे। इसलिए सरकार द्वारा सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ हो गईं। मई 1941 तक लगभग 25 हजार सत्याग्रही जेल में पहुँच गये।

जुलाई, 1941 में वायसराय ने अपनी परिषद् का विस्तार करते हुए उसमें 5 भारतीय सदस्य और शामिल किये। इस प्रकार कुल 13 में से 8 भारतीय सदस्य रह गये। वायसराय ने युद्ध सलाहकार समिति का भी गठन किया, परन्तु यह सब दिखावा मात्र था। अभी भी सभी शक्तियाँ वायसराय के पास थीं।

7 सितम्बर, 1941 को अमेरिकी जहाज पर्लहार्बर पर आक्रमण करने के साथ ही जापान भी इस युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने शीघ्र ही सिंगापुर, मलाया, इण्डोनेशिया आदि को जीत लिया। जापान की सेनायें म्यांमार व भारत की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारतीयों के साथ सहानुभूति का रवैया अपनाये और सत्याग्रहियों को रिहा किया जाय। दिसम्बर, 1941 में नेहरूजी, मौलाना आजाद आदि को रिहा कर दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अधिकाधिक गम्भीर होती जा रही थी। जर्मनी रूस की ओर बढ़ने रहा था। जापान से भारत की सुरक्षा को भी खतरा था। इन परिस्थितियों में दिसम्बर के अन्त में वारडोली में काँग्रेस कार्यसमिति की जो बैठक आयोजित हुई उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया और सम्भावित संकट से देश की रक्षा के लिये उचित संगठन स्थापित करने का निश्चय किया गया।

क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव (22 **मार्च**, 1942)

द्वितीय विश्व-युद्ध में जापान की निरन्तर विजय ने और मित्र राष्ट्रों की बिगड़ती स्थिति के कारण ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिये मार्च, 1942 में **सर स्टैफर्ड क्रिप्स** को भारत भेजा। क्रिप्स पण्डित नेहरू के व्यक्तिगत मित्र थे। भारतीयों को उनसे बहुत आशाएँ थीं। ब्रिटिश सरकार ने कुछ अनेक कारणों से क्रिप्स को भारत भेजा था, जैसे—(1) गाँधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस का दृष्टिकोण, (2) ब्रिटिश जनमत का दबाव, (3) ब्रिटेन पर मित्र-राष्ट्रों का दबाव, (4) जापान का खतरा, (5) आजाद हिन्द फौज का खतरा आदि।

मि. स्टैफर्ड क्रिप्स 22 मार्च, 1942 को भारत आये। उन्होंने अपने 20 दिन के भारत प्रवास में काँग्रेस मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा आदि वर्गों के प्रतिनिधियों से भेंट की। तत्पश्चात् 29 मार्च, 1942 को अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव को ही **'क्रिप्स योजना'** कहा जाता है। वैसे तो क्रिप्स प्रस्तावों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव, (2) तुरन्त लागू होने वाले या अन्तरित काल में लागू होने वाले प्रस्ताव। लेकिन सुविधा की दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :

(1) ब्रिटिश सरकार ने भारत में शीघ्र स्वशासन के विकास के लिए निश्चित कदम उठाने का निश्चय किया है।

(2) युद्ध की समाप्ति पर प्रान्तीय विधानसभाओं के लिए नये चुनाव होंगे एवं भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा गठित की जायेगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दोनों के प्रतिनिधि होंगे।

(3) क्रिप्स प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यदि भारत चाहेगा तो वह राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर सकेगा।

(4) युद्ध के इस नाजुक समय में भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा।

(5) उक्त सभी कार्य भारतीयों के सहयोग से ही हो सकते हैं।

यद्यपि क्रिप्स प्रस्ताव अगस्त, 1940 के प्रस्ताव से बहुत अच्छे थे फिर भी भारतीयों को क्रिप्स प्रस्ताव सन्तुष्ट नहीं कर सके। गाँधी ने इस पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और **क्रिप्स** ने कहा है कि यदि आपके पास यही प्रस्ताव थे तो आपने आने का कष्ट क्यों किया ? यदि भारत के सम्बन्ध में आपकी यही योजना है तो मैं आपको यही परामर्श दूँगा कि आप अगले ही हवाई जहाज से इंग्लैण्ड लौट जायें। उन्होंने कहा कि क्रिप्स प्रस्तावों का पूर्ण अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रिप्स प्रस्ताव नितान्त असंतोषजनक

हैं। काँग्रेस द्वारा सम्पूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की जा रही थी, लेकिन प्रस्तावों में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात अनिश्चित तिथि सहित कही गयी थी।

इसी कारण गाँधीजी के द्वारा इन प्रस्तावों को "**दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चैक कहा गया था।**"[1] **पण्डित जवाहर लाल नेहरू** के अनुसार, "**क्रिप्स योजना मान लेने से भारत के अनगिनत पाकिस्तानों में विभाजित होने की सम्भावना थी।**"

इस प्रकार काँग्रेस कार्य-समिति एवं मुस्लिम लीग आदि ने अनेक कारणों से क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया। यद्यपि इस अस्वीकृति के कारण भिन्न-भिन्न थे। काँग्रेस ने इस प्रस्ताव में भारत विभाजन के बीज, भारत पर ब्रिटेन द्वारा नियन्त्रण बनाये रखने की इच्छा तथा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर तीव्र आलोचना की तथा उदारवादियों ने भी क्रिप्स प्रस्तावों को आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का उपहास कहकर अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार क्रिप्स प्रस्तावों का भारत के सभी क्षेत्रों में विरोध किया गया। फलस्वरूप 11 अप्रैल, 1942 को ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन
(THE QUIT INDIA MOVEMENT)

क्रिप्स मिशन की असफलता और देश में व्याप्त निराशा से चिंतित होकर गाँधीजी ने अनुभव किया कि भारत को निराशा से निकालने और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए एक और अन्तिम युद्ध लड़ना होगा। '**हरिजन**' नामक पत्रिका के एक लेख में गाँधीजी ने लिखा कि "**भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले जाओ और यदि तुम्हारे लिये यह बहुत बड़ी बात है तो उसे अराजकता में छोड़ दो परन्तु चले जाओ।**" उन्होंने एक-दूसरे लेख में लिखा कि भारत के लिये उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हों भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैण्ड के भारत छोड़ देने में ही है, क्योंकि उस समय जापान तेजी से विजय प्राप्त करता हुआ म्यांमार और भारत की ओर बढ़ रहा था। वह कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता था। वह इसलिये कि भारत पर ब्रिटिश शासन था और उसकी शत्रुता भारत से नहीं इंग्लैण्ड से थी।

यदि ऐसे समय में काँग्रेस हाथ पर हाथ रखे रह जाती तो देश में कायरता का वातावरण बन जाता। अतः 5 जुलाई, 1942 को **गाँधीजी** ने उद्घोष किया—"**अंग्रेजों भारत छोड़ो।**" उन्होंने '**हरिजन**' नामक पत्रिका में लिखा कि अब समय आ गया है कि जब अंग्रेजों भारत छोड़ो वह भी भारतीयों के लिये, जापानियों के लिये नहीं। गाँधीजी का यह लेख भारत छोड़ो भारत भर में गूँज उठा।

भारत छोड़ो आन्दोलन के कारण (Causes of Quit India Movement)

(1) **क्रिप्स मिशन की असफलता**—क्रिप्स वार्ता असफल होने के कारण एवं क्रिप्स प्रस्तावों को वापस लिये जाने और सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंग्लैण्ड बुलाये जाने से भारत में घोर निराशा के वातावरण को जन्म मिला। **क्रिप्स** के इस कथन से कि "**स्वीकार करो अथवा छोड़ दो**" से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की इच्छुक नहीं है, वह केवल दिखावा कर रही है। यही नहीं, मिशन की असफलता का उत्तरदायित्व काँग्रेस पर डाला गया। अतः क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य अपने युद्ध सहयोगियों—अमेरिका, चीन को सन्तुष्ट करना था न कि भारत को। ऐसी परिस्थितियों में काँग्रेस ने जनता में फैली निराशा को दूर करने के लिये एवं स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये एक नया आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया।

(2) **म्यांमार में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार**—म्यांमार पर जापान की विजय के बाद ही म्यांमार से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे उन्होंने यहाँ आकर बताया कि भारतीयों और यूरोपियनों के बीच भेद-भाव पैदा किया गया है। भारतीयों को आने के लिए पृथक् और कष्टदायक रास्ते दिये गये थे। और उनके लिये अलग मार्ग दिये गये थे। इसके साथ-साथ भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे घटिया जाति से सम्बन्धित हों। इस घटना ने भी गाँधीजी को आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित किया।

(3) **शोचनीय आर्थिक स्थिति**—इस समय वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए थे। इससे जनता के आर्थिक कष्टों में भी वृद्धि होने से उनमें ब्रिटिश शासन के प्रति असन्तोष की भावना बहुत बढ़ गयी थी।

---

[1] Dr. Pattabhi, *The History of Congress,* Vol. II, p. 360.

युद्ध की स्थिति और वस्तुओं के मूल्य बेतहाशा बढ़ते जाने के कारण लोगों का कागज के नोटों के प्रति विश्वास समाप्त होता जा रहा था। देश में चारों ओर असन्तोष भड़क रहा था परिणामस्वरूप गाँधी को भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिये विवश होना पड़ा।

(4) **पूर्वी बंगाल में आतंक का राज्य**—इस समय पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। सरकार ने वहाँ सैनिक उद्देश्य के लिये अनेक किसानों की भूमि पर अपना कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार उन सैकड़ों देशी नावों को नष्ट कर दिया गया जिनसे हजारों परिवार पलते थे। शासन के इन कार्यों से लोगों के दु:ख बहुत बढ़ गये थे। इन कष्टों से दु:खी होकर गाँधीजी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना अन्तिम अस्त्र भारत छोड़ो आन्दोलन के रूप में प्रयोग करने का निश्चय किया।

(5) **जापान के आक्रमण का भय**—द्वितीय विश्व-युद्ध में जापान की सेनाएँ निरन्तर सिंगापुर, मलाया और म्यांमार में अंग्रेजों को पराजित करके भारत की ओर बढ़ रही थीं। इसलिए प्रतिक्षण भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था। महात्मा गाँधी और अन्य भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही वे यह भी सोचते थे कि अंग्रेज शासन के रूप में भारत छोड़कर चले जायें, तो शायद जापान का भारत पर आक्रमण न हो। इस कारण गाँधीजी का कहना था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिये मत छोड़ो वरन् भारत को भारतीयों के लिये व्यवस्थित रूप में छोड़ जाओ। **हरिजन** में अपने एक लेख में गाँधीजी ने लिखा था—“**भारत के लिये चाहे उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हों, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा, समय रहते इंग्लैण्ड के भारत छोड़ देने में ही है।**”[1]

इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से काँग्रेस ने गाँधीजी के नेतृत्व में ‘**भारत छोड़ो आन्दोलन**’ प्रारम्भ करने का निश्चय किया।

आन्दोलन का विचार और वर्धा प्रस्ताव—जुलाई, 1942—27 अप्रैल, 1942 को काँग्रेस कार्य-समिति की एक बैठक इलाहाबाद में हुई। इस बैठक में निश्चित किया गया कि काँग्रेस किसी ऐसी स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकती जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में कार्य करना पड़ें। गाँधीजी ने कहा कि भारत की समस्या का एकमात्र हल अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है। 14 जुलाई, 1942 में काँग्रेस कार्य-समिति की एक बैठक वर्धा में हुई जिसमें इलाहाबाद की बैठक में रखे गये विचारों का समर्थन किया गया। गाँधी जी के विचारों को महत्व देते हुए यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि “**अंग्रेजों भारत छोड़ो।**” इस प्रस्ताव को **वर्धा प्रस्ताव** के नाम से जाना जाता है। इसी प्रस्ताव का नाम ‘**भारत छोड़ो प्रस्ताव**’ रखा गया।

14 जुलाई, 1942 को ‘**भारत छोड़ो प्रस्ताव**’ पारित होने के पश्चात् गाँधीजी ने पत्रकारों को बतलाया कि अब हम खुला विद्रोह करेंगे। जनता में जागृति और मनोबल ऊँचा करने के प्रयास प्रारम्भ हो गये। गाँधीजी ने अपने सप्ताहिक पत्र ‘**हरिजन**’ द्वारा **भारत छोड़ो** प्रस्ताव का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। अगस्त, 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पण्डित जवाहर लाला नेहरू ने कहा कि, “हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं।” इसी समय **बाबू राजेन्द्र प्रसाद** ने कहा कि, “**हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिए।**” **सरदार पटेल** ने मुम्बई में कहा—“**इस बार का आन्दोलन थोड़े दिनों का किन्तु बड़ा भयानक होगा।**” सरकार काँग्रेस की इन गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं थी।

‘**भारत छोड़ो प्रस्ताव**’ की अन्तिम स्वीकृति के लिये अखिल भारतीय काँग्रेस समिति की एक बैठक 7 अगस्त, 1942 को मुम्बई में प्रारम्भ हुई। अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की। इस अधिवेशन पर भारत ही नहीं, समस्त विश्व की आँखें लगी हुई थीं। इस समिति ने पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त ‘**भारत छोड़ो प्रस्ताव**’ पास किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि “**यह समिति काँग्रेस कार्यकारिणी समिति के 14 जुलाई, 1942 के प्रस्ताव का समर्थन करती है। उसका यह विश्वास है कि बाद कि घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अन्त, भारत के लिये और मित्र राष्ट्रों के उद्देश्यों की सफलता के लिये अति आवश्यक है। इसी पर युद्ध का भविष्य एवं स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की सफलता निर्भर है।**” इस अवसर पर गाँधीजी ने 70 मिनट का एक भाषण दिया जो ऐतिहासिक था। इस सम्बन्ध में **डॉ. पट्टाभिसीतारमैय्या** ने कहा कि “**महात्मा**

---

[1] *Indian Annual Register,* Vol. I, 1942, p. 144.

गाँधी एक अवतार एवं पैगम्बर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। उनके भीतर एक आग भभक रही थी।"[1] काँग्रेस के नेता यह भली भाँति जानते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जायेंगे अतः जन-आन्दोलन करना ही पड़ेगा। परन्तु आन्दोलन की कोई तिथि घोषित नहीं की गई थी। गाँधीजी आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व एक बार वायसराय से मिलना चाहते थे परन्तु वायसराय ने मिलने से इन्कार कर दिया। गाँधीजी ने **करो या मरो** का नारा भारतीय जनता को दिया। इस नारे का तात्पर्य यह था भारतवासियों द्वारा, स्वाधीनता प्राप्ति के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए किन्तु यह आन्दोलन होना चाहिए।

भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रारम्भ अथवा अगस्त क्रान्ति एवं शासन द्वारा दमन—8 अगस्त, 1942 को प्रसिद्ध 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' पास किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद यह निश्चित था कि व्यापक पैमाने पर एक भीषण जन-आन्दोलन होने वाला है। आन्दोलन का स्वरूप, रूपरेखा, कार्यक्रम, आदि तैयार होना था। परन्तु गाँधीजी को अभी भी ऐसा लगता था कि सम्भवत कोई समझौता हो जायेगा। इसीलिये उन्होंने वायसराय से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी किन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया। 9 अगस्त, 1942 की प्रातः महात्मा गाँधी सहित काँग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गाँधीजी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगाखाँ महल में बन्दी बनाया गया। अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में बन्दी बनाया गया। भारत के सभी प्रान्तों में गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ हो गयीं। काँग्रेस गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दी गयी। इससे जनता अवाक्-सी रह गयी। जनता का मार्ग प्रदर्शित करने के लिये कोई नेता बाहर नहीं रह गया था। जनता के इस विरोध ने व्यापक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। जनता के सामने **करो या मरो** का नारा था इसलिये सम्पूर्ण देश आन्दोलनमय हो गया। जनता ने सरकार की नीति के विरोध में जुलूस निकाले, सार्वजनिक सभाएँ कीं और हड़तालें भी की गयीं। अनगिनत स्त्री-पुरुष आन्दोलन में कूद पड़े। सरकार ने आन्दोलन को कुचल देने के लिये अत्याचार प्रारम्भ किये। निहत्थी जनता पर लाठियाँ चलायी गयीं और गोलियाँ बरसायी गयीं, परिणाम यह निकला कि जनता भी हिंसा पर उतर आयी। आगजनी की घटनाएँ हुईं। हत्या व तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गयी। लगभग 250 रेलवे स्टेशन जला दिये गये तथा 980 पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण हुए यातायात के साधन, डाकघर टेलीफोन आदि नष्ट कर दिये गये। लाठियों व गोलियों का जवाब पत्थरों व ईंटों से दिया गया। मुम्बई, उत्तर प्रान्त व मध्य प्रान्त में जनता द्वारा बम भी फेंके गये। सरकार ने आन्दोलन दबाने के लिये नृशंसतापूर्ण अत्याचार किये यह फिर भी यह आन्दोलन जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, आसफअली जैसे समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में तीन सप्ताह तक खुले रूप में निरन्तर चलता रहा। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रिटिश शासन का शीघ्र ही अन्त हो जायेगा लेकिन शासन की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप यह आन्दोलन भूमिगत हो गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन की असफलता के कारण

(CAUSES OF FAILURE OF THE QUIT INDIA MOVEMENT)

महात्मा गाँधी द्वारा अब तक किये गये आन्दोलनों में **'भारत छोड़ो आन्दोलन'** सबसे भीषण आन्दोलन था। यह भारतीय स्वाधीनता के लिये किया गया महानतम प्रयास था। लेकिन आन्दोलन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसकी असफलता के लिए निम्नलिखित कारणें को उत्तरदायी माना जा सकता है :

(1) **आन्दोलन की योजना एवं संगठन—'भारत छोड़ो आन्दोलन'** की असफलता का प्रमुख कारण यह माना जाता है कि गाँधीजी द्वारा स्वयं भारत छोड़ो आन्दोल की रूपरेखा और कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था जबकि काँग्रेसी नेताओं को आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व ही अपनी रणनीति तथा कार्यक्रम सुनियोजित कर लेने चाहिए थे। इसका मुख्य कारण यह था कि गाँधीजी को अन्तिम समय तक यह आशा थी कि वायसराय या सरकार से कोई समझौता हो जायेगा और हमें आन्दोलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह गाँधीजी की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसी स्थिति में जब शासन द्वारा दमन कार्य की पहल की गई तो आन्दोलनकारी हतप्रभ रह गये और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आन्दोलन नेतृत्वहीन हो गया।

---

[1] डॉ. पट्टाभि सीतारमैय्या, काँग्रेस का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ 531-533।

(2) **सरकारी कर्मचारियों और उच्च वर्गों की सरकार के प्रति वफादारी**—'**भारत छोड़ो आन्दोलन**' की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि आन्दोलन की अवधि में सरकारी कर्मचारियों, देशी रियासतों के नरेश, सेना, पुलिस और उच्च सरकारी अधिकारी आदि में सरकार के प्रति वफादारी की भावना बनी रही जिससे सरकारी कार्य बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से चलता रहा।

(3) **भारतीय राजनीतिक दलों और वर्गों का आन्दोलन विरोधी रवैया**—भारतीय साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दलों ने आन्दोलन को सहयोग देने के स्थान पर आन्दोलन का खुलकर विरोध किया। अकाली दल और हिन्दू महासभा तथा समाज के कुछ उच्च और दलित वर्गों का आन्दोलन के प्रति असहयोग का रवैया ही रहा। इस प्रकार उक्त सहयोग के अभाव के कारण भी 'भारत छोड़ो आन्दोलन' असफल रहा।

(4) **आन्दोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना शक्ति और कठोरता**—वस्तुतः '**भारत छोड़ो आन्दोलन**' की तात्कालिक असफलता अवश्यम्भावी थी क्योंकि आन्दोलनकारियों की तुलना में शासन की शक्ति कई गुना अधिक थी। आन्दोलनकारियों की न तो कोई गुप्तचर व्यवस्था थी और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान सन्देश भेजने के साधन थे। उनकी आर्थिक शक्ति भी ब्रिटिश शासन की तुलना में बहुत कम थी।

(5) **आन्दोलन की हिंसात्मकता**—यद्यपि अपने प्रारम्भिक चरण में आन्दोलन पूर्णतया अहिंसात्मक ही रहा परन्तु कुछ समय के पश्चात् कुशल नेतृत्व के अभाव में आन्दोलन में हिंसा आ गई। इस संविधान अवधि में देश के विभिन्न भागों में हिंसा और तोड़-फोड़ की कार्यविधियाँ हुईं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शान्तिप्रिय हिंसा की प्रवृत्ति '**भारत छोड़ो आन्दोलन**' की असफलता का एक कारण बन गई।

भारत छोड़ो आन्दोलन का महत्व या सफलताएँ

(IMPORTANCE OR SUCCESSES OF THE QUIT INDIA MOVEMENT)

यद्यपि भारत छोड़ो आन्दोलन अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका लेकिन इस आन्दोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लम्बे समय तक शासन कर सकना सम्भव नहीं रहा। इस आन्दोलन के दूरगामी महत्वपूर्ण परिणाम निकले जो निम्नलिखित हैं :

(1) अगस्त आन्दोलन ने भारतीय जनता को पूर्ण स्वतन्त्रता का दीप प्रज्ज्वलित करने की प्रेरणा दी।

(2) आन्दोलन ने देश की जनता में असाधारण जागृति उत्पन्न कर दी।

(3) आन्दोलन के कारण जनता में सरकार का सामना करने के लिए उनमें साहस और शक्ति में वृद्धि हुई।

(4) आन्दोलन का क्षेत्र और प्रभाव देशव्यापी था। ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट हो गया कि दमन व अत्याचार असन्तोष को नहीं रोक सकेंगे।

(5) भारत छोड़ो आन्दोलन ने विदेशों में भी भारत की स्वतन्त्रता का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। स्वयं ब्रिटिश जनमत को भारतीयों ने अपने पक्ष में किया।

(6) इस आन्दोलन से उत्पन्न चेतना के परिणामस्वरूप सन् 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश शासन पर और भयंकर चोट की।

इस प्रकार यह निर्विवाद सत्य है कि भारतीय स्वतन्त्रता की पृष्ठभूमि **भारत छोड़ो आन्दोलन** ने ही तैयार की जिसके फलस्वरूप 5 वर्ष बाद ही भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी। **डॉ. सुभाष कश्यप** के शब्दों में, "1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन सचमुच सन् 1857 की असफल क्रान्ति के बाद भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति के लिए किया गया सबसे बड़ा प्रयास था।"[1] पण्डित नेहरू ने इस आन्दोलन एवं उसके कार्यों के लिए गर्व व्यक्त किया था।[2] इस प्रकार '**भारत छोड़ो आन्दोलन**' ने भारतीय स्वतन्त्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की।

---

[1] सुभाष कश्यप, **संवैधानिक विकास एवं स्वाधीनता संघर्ष,** पृ. 185।

[2] Nehru's Speech in Lahore on July 25, 1945.